Non-Payment of Income Tax by Cine Stars

80. SHRI ANANTRAM JAISWAL: SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any effective and impartial steps are proposed to be taken by Government against those top personalities/cine stars who have not paid their income tax running into lacs of rupees, for a long time;

(b) if so, what are the details of the action taken or proposed to be taken stating the time by which Government revenue will be fully collected from them; and

(c) if no action has been proposed to be taken, what is Government's thinking in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No time limit for recovery of tax dues can be given because recovery of tax arrears is a continuous process. However, the steps taken for the recovery of outstanding tax demands are as under:—

(i) The Board and the Directorate of Income-tax (Recovery) constantly review cases of huge arrears exceeding Rs. one Crore.

(ii) Since in most of the cases the tax arrears are disputed in pending appeals, the appellate authorities including ITAT are requested for priority disposal of appeals.

(iii) Coercive measures such as levy of penalty, attachment of movable and immovable properties are taken.

(iv) Prosecution against tax defaulters is also launched in some cases.

(v) In cases where instalments have been allowed to the taxpayers, a strict watch is being kept to ensure timely payment of instalments.

(vi) wherever recovery proceedings have been stayed by the Courts, action is taken to get the stay vacated.

(vii) In cases where tax arrears are considered to be irrecoverable, action for their write-off is taken.

मध्य प्रदेश में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता

81. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मध्य प्रदेश से वित्तीय सहायता संबंधी कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इसमें से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए और कितने अस्वीकृत, तथा उनके संबंध में निर्णय लेने में कितना-कितना समय लगा;

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के उद्योगों को वर्ष-वार और इकाई-वार कितनी वित्तीय सहायता सीधे उपलब्ध कराई गई; और

(ग) क्या सरकार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को इस बारे में निर्देश जारी करने का विचार रखती है कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को सीधे रूप में अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश के संबंध में वित्तीय सहायता के लिये प्राप्त, मंजूर किये गये तथा अस्वीकार किये गये आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

	1990-91	1991-92	1992-93
वर्ष के आरम्भ में विचाराधीन आवेदन	18	19	21
प्राप्त आवेदन	61	61	54
जोड़	79	80	75
स्वीकृत/नामंजूर	50	44	47
बंद किये गये/वापस लिये गये	10	15	14
विचाराधीन	19	21	14

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए औसतन लगभग तीन महीने का समय लिया जाता है।

(ख) और (ग) यूनिटों की संख्या और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मंजूर की गयी सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये)

	यूनिटों की संख्या	मंजूर की गयी रकम
1990-91	35	366.80
1991-92	29	263.30
1992-93	38	390.50

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के प्रावधानों तथा साथ ही साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम 1983 में किये गये प्रावधानों के अनुसार, यूनिटवार ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी खास क्षेत्र में परियोजना का स्थान निर्धारण संबंधी निर्णय, उद्यमी पर छोड़ दिया जाता है जिसे क्रमशः राज्य सरकारों द्वारा आधारभूत प्रोत्साहनों की उपलब्धता, कच्चे माल की सुलभता बाजार में पहुंच आदि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। संस्थाएं, परियोजना की उपयुक्तता के लिहाज से परियोजना के स्थान का निर्धारण करती है। वित्तीय संस्थाओं का हमेशा यह प्रयास रहा है कि सभी अध्यक्ष परियोजनाओं का समर्थन किया जाये, भले ही वे किसी भी स्थान में स्थित हों।

Approval to Gujarat Development Bonds Scheme

82. SHRI ANANTRAY DEV SHANKER DAVE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have approved the "Gujarat Development Bonds" Scheme submitted by Gujarat Government in November, 1992, which would increase the foreign exchange reserves of the country unconditionally and reduce dependence of SSP on budgetary allocation; and

(b) by when such Bonds would be allowed to be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The Government of Gujarat had in November, 1992 proposed the issue of bonds to finance the Sardar Sarovar Project, relying on Government of India to absorb the foreign exchange risk. The proposal was, however, subsequently modified as a domestic public issue and the issue has already been completed.